

आपराधिक प्रक्रिया वधियक

यह एडिटरियल 01/04/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "This is a Criminal Attack on Privacy" लेख पर आधारित है। इसमें आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक, 2022 के महत्त्व एवं संबद्ध समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक [Criminal Procedure (Identification) Bill], 2022 पेश किया जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से अपराध की अधिक कुशल एवं त्वरित जाँच सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है।

हालाँकि इसमें बायोमीट्रिक और जैविक डेटा संग्रहण को संकषम करने का नहिती प्रस्ताव इसकी कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल उठाता है। इसके प्रावधान आत्म-अभिशंसन के वरिद्ध संरक्षण के अधिकार (right against self-incrimination) और नजिता के अधिकार (right to privacy) से टकराव तो रखते ही हैं, वधियक में मौजूद कई बातें अत-व्यापी या पर्याप्त अस्पष्ट भी हैं।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक, 2022

वधियक का उद्देश्य

- इस वधियक का उद्देश्य 'बंदी पहचान अधिनियम, 1920' (Identification of Prisoners Act, 1920) को प्रतिस्थापित करना है, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव 1980 के दशक में भारत के वधिआयोग की 87वीं रिपोर्ट में और 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मशिर' मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय में किया गया था।
 - आलोचना और संशोधन की आवश्यकता मुख्य रूप से इस अधिनियम के तहत 'माप' (measurements) की सीमति परभाषा के संबंध में जताई गई थी।

वधियक के प्रावधान

- यह पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटनि एवं आईरिस स्कैन सहित भौतिक एवं जैविक नमूनों के एकत्रीकरण, संग्रहण और वशिलेषण की अनुमति देगा।
 - इन प्रावधानों को आगे किसी भी नविरक नरिोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर तथा हस्तलेखन डेटा के रपिजिटरी के रूप में कार्य करेगा जहाँ इन्हें कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
 - NCRB को किसी भी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ रिकॉर्ड साझा करने का भी अधिकार दिया गया है।
- यह आपराधिक मामलों में पहचान और जाँच हेतु दोषियों तथा 'अन्य व्यक्तियों' की 'माप' लेने के लिये भी अधिकृत करता है।

वधियक का महत्त्व

- यह वधियक उपयुक्त शरीर मापों को दर्ज करने के लिये आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रावधान करता है।
 - 'बंदी पहचान अधिनियम, 1920' के रूप में मौजूद कानून सीमति श्रेणी के दोषी व्यक्तियों के केवल 'फगिरप्रटि' और 'फुटप्रटि' लेने की ही अनुमति देता है।
- 'व्यक्तियों' (जनिकी माप ली जा सकती है) के दायरे का वसितार जाँच एजेंसियों को कानूनी रूप से स्वीकार्य पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने में मदद करेगा।
- अधिक सटीक भौतिक एवं जैविक नमूने अपराध की जाँच को अधिक कुशल व तीव्र बनाएँगे और दोषसिद्धि दिर को बढ़ाने में भी मदद करेंगे।
- अपेक्षा की गई है कि यह संगठित अपराध, साइबर अपराधियों एवं आतंकियों (जो पहचान की चोरी और पहचान धोखाधड़ी में दक्ष होते हैं) के खतरे को कम करेगा। उनके द्वारा उत्पन्न गंभीर राष्ट्रीय और वैश्विक खतरों पर नरिंत्रण रखने में यह वधियक मदद कर सकेगा।

वधियक से संबद्ध समस्यारुँ

- **असुपष्ट प्रावधान:** 'बंदी पहचान अधनियम, 1920' को प्रतसिथापति करने का लक्ष्य रखता प्रस्तावति कानून काफी हद तक इसके दायरे और पहुँच का वसुतार करता है।
 - 'जैवकि नमूने' जैसे पदों का अधकि वर्णन नहीं कथिा गया है, इसलथि रक्त और बाल के नमूने लेने या डीएनए नमूनों के संग्रह जैसा कोई भी दैहकि हस्तक्षेप कथिा जा सकता है।
 - वर्तमान में ऐसे हस्तक्षेपों के लथि एक मजसुदरेट की लखति सुवीकृतकी आवशुयकता होती है।
- **नजिता के अधकिार को कमजोर करना:** यह वधियी प्रस्ताव न केवल अपराध के दोषी व्यक्तथियों के बलुक प्रत्येक सामान्य भारतीय नागरकि के नजिता के अधकिार को कमजोर करता है।
 - यह वधियक राजनीतकि वरिोध से संलग्न प्रदर्शनकारथियों तक के जैवकि नमूने एकत्र कर सकने का प्रस्ताव करता है।
- **अनुच्छेद 20 का उल्लंघन:** आशंकाएँ जताई गई हैं क वधियक ने नमूनों के मनमाने संग्रह को सक्षम कथिा है और इसमें अनुच्छेद 20 (3) के उल्लंघन की क्षमता है जो आत्म-अभशिसन के वरिद्ध संरक्षण का अधकिार देता है।
 - वधियक में जैवकि सूचना के संग्रह में बल का प्रयोग नहिति है, जसिसे 'नारको परीक्षण' और 'ब्रेन मैपिंग' को बढ़ावा मलि सकता है।
- **डेटा का प्रबंधन:** यह वधियक 75 वर्षों के लथि रकिॉर्ड को संरक्षति करने की अनुमति देता है. अन्य चतिाओं में वे साधन शामिल हैं जनि के द्वारा एकत्र कथिे गए डेटा को संरक्षति, साझा, प्रसारति और नष्ट कथिा जाएगा।
- **बंदथियों के बीच जागरूकता की कमी:** यदुप वधियक में यह प्रावधान है क कोई गरिफतार व्यक्ती (जो महिला या बच्चे के वरिद्ध अपराध का आरोपी नहीं हो) नमूने देने से इनकार कर सकता है, लेकनि जागरूकता के अभाव में सभी बंदी इस अधकिार का प्रयोग कर सकने में सफल नहीं होंगे।
 - पुलसि के लथि इस तरह के इनकार की अनदेखी करना भी अधकि कठनि नहीं होगा और बाद में वे दावा कर सकते हैं क उनहोंने बंदी की सहमति से नमूने एकत्र कथिे हैं।

आगे की राह

- **डेटा सुरक्षा सुनिश्चति करना:** गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा से संबद्ध चतिा नसिसंदेह महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तगित प्रकृतकि के महत्त्वपूर्ण वविरणों के संग्रहण, भंडारण और नष्ट करने संबंधी अभ्यास तभी शुुरु हो सकेंगे जब एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून मौजूद हो जहाँ उल्लंघनों के लथि कठोर दंड का प्रावधान हो।
 - नजिता का कोई भी अतिक्रमण सर्वोच्च नुयायालय द्वारा नरिधारति संवैधानकिता की कसौटी पर खरा उतरना चाहथिे।
- **संसद की संवीक्षा:** वधियक को न तो पूर्व-वधियी परामर्श के लथि रखा गया था और न ही संसद में इसे सत्र के वधियी एजेंडे में इंगति कथिा गया था। उपयुक्त होगा क इस वधियक के अधनियम के रूप में लागू होने से पहले इसे गहन संवीक्षा के लथि स्थायी समति को भेजा जाए।
- **बेहतर कार्यानुवयन:** कानून प्रवर्तन एजेंसथियों को नवीनतम तकनीकों के उपयोग से वंचति करना अपराध के शकिार लोगों और वृहत रूप से राष्ट्र के प्रतगिभीर अपकार या क्षति की स्थति होगी। लेकनि बेहतर संवीक्षा और डेटा संरक्षण कानून के अलावा कानून के बेहतर क्रथिानुवयन के लथि भी उपाय कथिे जाने की जरूरत है।
 - आवशुयकता यह है क अपराध स्थल से 'माप' एकत्र करने के लथि वशिषजुओं की संख्या में वृद्धि हो और उनके वशिलेण के लथि फोरेंसकि प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए ताक आपराधकि मामले में शामिल संभावति अभयुक्तों की पहचान करना सुगम हो सके।
 - जाँच अधकिारथियों, अभयिजकों, नुयायकि अधकिारथियों आदिके प्रशकिषण और चकितिसकों एवं फोरेंसकि वशिषजुओं के अधकिाधकि सहयोग को भी प्राथमकिता दी जानी चाहथिे।

अभ्यास प्रश्न: "नजिता पर आघात केवल अकादमकि बहस का मामला नहीं है, यह लोगों के लथि वास्तवकि और शारीरकि एवं मानसकि परणाम उत्पन्न करता है। इसकी रक्षा करने का उत्तरदायतिव सरकार के प्रत्येक अंग पर है।" चर्चा कीजथिे।